


# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अतिरिक्त जौनपुर

जिजानन्द बनाम अशोक कौर

मुकदमा संख्या / वर्ष : 259/22 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक अहकाम
	6/8/24	<p>वारी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर सर्वप्रथम अन्तर्गत धारा 151 CPC कायदा का उद्देश्य विचारित किया जाये कि क्या जाये पर पड़वली आज की वेसी में ही जाय</p> <p>वारी द्वारा प्रार्थना पर कि प्रमाणित किया कि पड़वली के मरुत राजीनाम होके ही कारण वाद भागे अलग ही आयेगी मरुत का उद्देश्य विचारित जाये कि अन्तर्गत की जाये</p> <p>वारी के प्रार्थना पर एवं पड़वली का अवलोकन किया गया। वारी के वाद विचारित जाये कि अन्तर्गत उद्देश्य की जाये है</p> <p>वारी का वाद विचारित जाये कि उद्देश्य पर खारिज किया जाये है</p> <p>पड़वली के मरुत अन्तर्गत मरुत से एक टोकट हासिल कर रहे है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जौनपुर जयपुर</b> </p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>